

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN  
AT JODHPUR**

**:: JUDGMENT ::**

**S.B. CIVIL MISC. APPEAL NO.2295/2007**

Smt.Sheelu w/o Amar Singh  
Vs.  
Amar Singh s/o Lal Singh & Anr.



Date of Order

:: **Wednesday, 27<sup>th</sup> January, 2016.**

**P R E S E N T**

**HON'BLE DR. JUSTICE VINEET KOTHARI**

Appearance:

Mr.Moti Singh for the appellant-wife.  
Dr.Shailendra Kala for the respondent-husband.

<<>>

**BY THE COURT (ORAL) :**

1. The present appeal has been filed by the appellant-wife-Smt.Sheelu d/o Shri Chattar Singh in the present matrimonial dispute, who married to the respondent No.1-Amar Singh in the year 1979. The divorce decree has been granted under Section 13 of the Hindu Marriage Act, 1955 to the respondent No.1-Amar Singh, on the ground of cruelty, dession and adultery of the appellant-wife-Smt.Sheelu. The allegations and averments of the respondent No.1-husband-Amar Singh in the plaint under Section 13 of the Act of 1955 are

that she was in illicit relationship with the respondent No.2-Bhikh Singh.

2. The findings of the learned Additional District Judge, Raisinghnagar, District Sriganganagar in the order dated 18.08.2007 in divorce petition **No.14/2005 – Amar Singh Vs. Smt.Sheelu & Anr.**, are quoted below for ready reference:-



"तनकी संख्या 1:- आया विपक्षी-1 झगड़ालू किस्म की होकर उसका प्रार्थी के प्रति व्यवहार ठीक नहीं रहता है?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रार्थी याची अमरसिंह पर था जिसने स्वयं के शपथ पत्र में अप्रार्थी नं.1 श्रीमती शीलू को झगड़ालू प्रवृत्ति का होना बताया है एवं अपनी ओर से पेश किया गया गवाह मानसिंह ए ड 2 ने भी अप्रार्थी श्रीमती शीलू को झगड़ालू प्रवृत्ति का होना बताया है । उसका व्यवहार प्रार्थी अमरसिंह के प्रति ठीक नहीं होना दोनों गवाहान ने बताया है । इन गवाहों के इस तनकी के संबंध में शपथ पत्र पर दिये गये बयानों का खंडन उनके जिरह के बयानों से नहीं हो पाया है । प्रार्थी ने 19 वर्षों से अप्रार्थी का उससे अलग रहना बताया है । इस तथ्य को अप्रार्थी ने जिरह के बयानों में स्वीकार किया है । उसने जिरह के बयान में यह कथन किया है कि "यह सही है कि दिनांक 26.1.86 के बाद में अमरसिंह के पास कभी नहीं रही" । इस गवाह श्रीमती शीलू के उक्त बयान से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वह प्रार्थी अमरसिंह के पास दिनांक 26.1.86 के बाद कभी भी नहीं रही । वह दिनांक 26.1.86 से अमरसिंह से अलग निर्वाह कर रही है । प्रार्थी गवाहान के बयानों से यह तनकी प्रार्थी के पक्ष में साबित हो जाती है । अतः तनकी संख्या 1

का निर्णय प्रार्थी के पक्ष में और अप्रार्थी के विरुद्ध किया जाता है ।

तनकी संख्या 2:-आया विपक्षी-1 बिना किसी युक्ति युक्त कारणों से अपने पति को छोड़कर अन्यत्र चली गई है?

इस बिंदु को साबित करने का दायित्व याची पर था । याची अमरसिंह एवं गवाह मानसिंह के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों में अंकित तथ्यों से यह तनकी प्रार्थी ने अपने पक्ष में साबित कर दी है । इनके जिरह के बयानों से शपथ पत्र में अंकित तथ्यों का खंडन नहीं हो पाया है । इस संबंध में लिखित बहस के अंतर्गत भी यह निवेदन किया गया है कि पति पत्नी काफी लंबे समय तक अलग अलग रह रहे हो तो उसे तलाक याचिका का विधि सम्मत कारण माना गया है । इस मामले में अयाची श्रीमती शीलू ने दिनांक **26.1.86** से अपने पति से अलग रहने के तथ्य का जिरह के बयानों में स्वीकार किया है इससे यह स्पष्ट है कि वह बिना किसी युक्ति युक्त कारण के अपने पति के घर को छोड़कर अन्यत्र निर्वाह कर रही है । इस प्रकार से यह तनकी प्रार्थी के पक्ष में साबित हो जाती है । इसका निर्णय प्रार्थी के पक्ष में और अप्रार्थी के विरुद्ध किया जाता है ।

तनकी संख्या 3:- आया विपक्षी-1 भीखसिंह (विपक्षी-2) के साथ अनैतिक संबंध है तथा उसके साथ नाजायज संबंधों के चलते एक पुत्र है व वह जारतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रही है?

इस तनकी को साबित करने का दायित्व याची पर था उसने स्वयं द्वारा पेश शपथ पत्र ए ड 1 में अंकित तथ्य से यह साबित कर दिया है कि श्रीमती शीलू दिनांक 26.1.86 से उसका घर छोड़कर चली गई





है और उसके पश्चात वह अपने पिता और भाई के घर पर रह रही है । याची ने उसका भीखसिंह के साथ नाजायज संबंध होना बताया है जिससे एक पुत्र का जन्म हुआ है । श्रीमती शीलू के पुत्र को याची अमरसिंह अपने अंश से होना स्वीकार नहीं करता है । ऐसा ही तथ्य मानसिंह ए ड 2 क बयानों से स्पष्ट हुआ है । हालांकि अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमती शीलू ने इस प्रकार के आरोपों को गलत होना बताया है लेकिन उसने जिरह में यह सही होना बताया है कि उसके बाद भीखसिंह और वह तथा उसका पिता जैतसर आये थे इससे यह स्पष्ट है कि भीखसिंह से श्रीमती शीलू के अवैध संबंध स्थापित थे और रहे हैं । यह बिंदु प्रार्थी गवाहान के बयानों से प्रार्थी क पक्ष में साबित हो जाता है ।

तनकी संख्या 4:- आया प्रार्थी विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है?

प्रार्थी के पक्ष में तनकी नम्बर 1-2-3 साबित हो गई है और अप्रार्थी दिनांक 26.1.86 से प्रार्थी से बिना युक्ति युक्त कारण के अपने पति का घर छोड़कर बीकानेर में रह रही है, इतने लंबे समय से याची और अयाची संख्या 1 का अलग अलग रहना तलाक प्राप्त करने का विधि सम्मत कारण और अधिकार है । इस तथ्य को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी अमरसिंह की विवाह विच्छेद की याचिका स्वीकार की जाकर अप्रार्थी श्रीमती शीलू के विरुद्ध विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है ।

#### आदेश

7. याची अमरसिंह द्वारा प्रस्तुत याचिका अयाची श्रीमती शीलू के विरुद्ध स्वीकार की जाकर उनके मध्य सन् 1979 में सम्पन्न हुए विवाह का विच्छेद किया

जाता है । याची अमरसिंह एवं श्रीमती शीलू का पति पत्नी का रिश्ता आज से समाप्त किया जाता है । परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए इस याचिका का खर्चा अपना अपवना वहन करेगा । डिक्री पर्चा इसी प्रकार बनाया जावे ।



sd/-  
(भरतराम मीना)  
अपर जिला न्यायाधीश, रायसिंहनगर (जिला श्रीगंगानगर)''

3. Learned counsel for the appellant-wife, Mr.Moti Singh submitted that the findings of the learned court below on issue No.3 about adultery are not sustainable because the birth of the son to the appellant-wife-Smt.Sheelu on **23.09.1986** was after about seven months and 29 days from the date when the appellant-wife had left the matrimonial home last on **26.01.1986**, and therefore, merely on that basis, the ground of adultery could not be held to be proved, as has been held by the learned court below. However, he submitted that the parties are living separately since 1986 and there were no proceedings initiated by either of the parties under Section 9 of the Act of 1955 seeking restitution of conjugal rights in the present case.

4. On the other hand, Dr.Shailendra Kala, learned counsel for the respondent No.1-husband submitted that the divorce decree given in favour of the respondent No.1-husband- Amar Singh on the grounds of cruelty, desertion and adultery

and from the evidence available on record, these grounds were well established by the respondent No.1-husband-Amar Singh and the divorce decree deserves to be sustained on all these grounds. He has also brought to the notice of the Court an order passed by the learned Family Court, Bikaner passed on **09.05.2013** in **Misc.Criminal No.1451/2012 – Smt.Sheelu & Anr. Vs. Amar Singh**, whereby the claim of the appellant-wife, Smt.Sheelu for maintenance from the respondent No.1-husband-Amar Singh was also denied by the learned Family Court, Bikaner on account of her live-in relationship with the respondent No.2-Bhikh Singh.



5. The relevant extract of the order dated **09.05.2013** of the learned Family Court, Bikaner is also quoted below for ready reference:-

“9. इस प्रकार दोनों पक्षों की साक्ष्य से यह तथ्य पूरी तरह साबित है कि शीलू अमरसिंह की वैध विवाहिता पत्नी है। यह तथ्य भी पूरी तरह साबित है कि अमरसिंह उसे 450/- रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण की राशि अदा कर रहा है। अमरसिंह की जिरह में यह भी साबित है कि 1998 के समय उसकी आय 1200/- रुपये प्रतिमाह थी और वर्तमान में 12000/- रुपये प्रतिमाह है। शीलू की जिरह से यह साबित है कि अपर जिला न्यायाधीश, रायसिंहनगर के द्वारा व दोनों के बीच हुए विवाह को विवाह विच्छेद की डिक्री से विघटित कर दिया गया है। शीलू का यह कथन है कि इस डिक्री के



विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में कार्यवाही कर रखी है, परंतु उसकी कोई दस्तावेजी साक्ष्य शीलू ने पेश नहीं की है। शीलू यह भी मानती है कि उसका लड़का अमितसिंह है और उसने अमितसिंह के भरण पोषण की मांग कभी भी अमरसिंह से नहीं की है। अपर जिला न्यायाधीश, रायसिंहनगर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की प्रतियां पेश हुई हैं और इस निर्णय में अपर जिला न्यायाधीश ने यह माना है कि विपक्षी संख्या एक झगड़ालू किस्म की है और यह भी माना है कि भीखसिंह के साथ उसका अवैध संबंध हुआ जिससे एक पुत्र का जन्म हुआ और इन तीनों ही आधारों पर दोनों के मध्य हुए विवाह को विघटित कर दिया गया। अपर जिला न्यायाधीश के द्वारा जो यह निष्कर्ष निकाला गया है और सिविल प्रकृति के मामले में निकाला गया निष्कर्ष फौजदारी मामलों में बाध्यकारी होता है इसलिए इस निर्णय व डिक्री से यह साबित है कि शीलू ने अमर सिंह का परित्यजन्य कर रखा है और वह जारता की दशा में भीखसिंह के साथ रह रही है जिससे उसे एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ है। ऐसी परिस्थिति में शीलू के द्वारा प्रस्तुत भरण पोषण की राशि बढ़ाने का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है व अमरसिंह के द्वारा भरण पोषण की राशि बंद करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

10. परिणामतः प्रत्यर्थी शीलू की ओर से भरण पोषण की राशि बढ़ाने का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और अमरसिंह के द्वारा प्रस्तुत भरण पोषण की राशि बंद करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपर जिला न्यायाधीश, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा

पारित तलाक की डिक्री के आदेश दिनांक 18.08.07  
भरण पोषण भत्ता की राशि बंद की जाती है ।

sd/-

(हरी कुमार गोदारा)  
न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय,  
बीकानेर।"



The copy of the aforesaid judgment dated 09.05.2013 is taken on record.

Having heard the learned counsels for the parties and upon perusal of the evidence available on record, this Court is satisfied that the divorce decree given by the learned court below deserves to be sustained, and there is no contra evidence available before this Court to take a different view of the matter and restore the matrimony between these two parties, who are admittedly living separately since a long period since 1986 and almost 30 years have passed by since then. The parties, who are now in the age group of old age, namely, respondent-husband aged 60 years and the appellant-wife aged about 52 years.

8. In view of the nature of allegations and the evidence brought on record, this Court does not find it a fit case of even making efforts through mediation for restoration of matrimonial home in the present case, even if the findings on issue No.3 recorded by the learned court below is treated as watered down on the basis of the submissions made by Mr.Moti Singh, learned



counsel for the appellant-wife, and the divorce decree deserves to be upheld, in the facts and circumstances of the case.

9. Accordingly, the present appeal of the appellant-wife is dismissed and the impugned decree of divorce granted by the learned court below is upheld. No costs. Copy of this order may be sent to the concerned parties as well as the learned courts below forthwith.



(Dr. VINEET KOTHARI), J.